लोकायुक्त

प्रलिम्सि के लयि:

लोकायुक्त, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF), लोकपाल, प्रशासनकि सुधार आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त अधनियिम, 2013

मेन्स के लयि:

भारत में लोकायुक्त से संबंधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

केरल लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष **(Chief Minister's Distress Relief Fund- CMDRF)** में कथति **भाई-भतीजावाद और वसिंगतयिों** से संबंधति एक मामले को जाँच हेतु तीन सदस्यीय पूर्ण न्यायपीठ को सौंप दयिा है।

लोकायुक्त:

- **परचिय:**
  - लोकायुक्त भारतीय संसदीय ओम्बुड्समैन है, **जो भारत की प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नयिुक्त कयिा जाता है और उसके लयि काम करता है।**
  - **यह एक भ्रष्टाचार वरिोधी व्यवस्था है**। कसिी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य **लोक सेवकों के वरिुद्ध शकिायतों, आरोपों की जाँच करना है।**
- **उत्पत्ति:**
  - **लोकायुक्त व्यवस्था की उत्पत्ति स्कैंडनिवियाई देशों में हुई थी।**
  - भारत में प्रशासनकि सुधार आयोग (1966-70) ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सफिारशि की थी।
  - वर्ष 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधनियिम पारति होने से पहले भारत के कई राज्यों ने 'लोकायुक्त' संस्थान बनाने के लयि कानून पारति कयि।
    - महाराष्ट्र पहला राज्य था जसिने वर्ष 1971 में लोकायुक्त नकिाय स्थापति कयिा था।
- **नयिुक्ति:**
  - **लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की नयिुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।** नयिुक्ति करते समय अधकिांश राज्यों में राज्यपाल **(a) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** और **(b) राज्य वधिानसभा में वपिक्ष के नेता** से परामर्श करता है।
- **कार्यकाल**:
  - अधकिांश राज्यों में **लोकायुक्त के लयि नर्धिारति अवधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होती है।** वह दूसरे कार्यकाल के लयि **पुनर्नयिुक्ति का पात्र नहीं** है।
- **लोकायुक्त से संबंधति मुद्दे:**
  - **कोई स्पष्ट कानून नहीं:**
    - लोकपाल और लोकायुक्त अधनियिम 2013 में **लोकायुक्त हेतु केवल एक धारा है, जो अनविार्य करती है कि राज्यों को एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त अधनियिम पारति करना होगा** तथा **उसकी संरचना, शक्तयिों या अन्य वशिषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है।**
    - वास्तव में **राज्यों को इस बात की पूर्ण स्वायत्तता है कि उनके अपने लोकायुक्तों की नयिुक्ति किस प्रकार की जाती है,** वे कसि प्रकार कार्य करते हैं और वे कनि परस्थितियिों में सेवा करते हैं।
  - **समाधान में वलिंब:**
    - लोकायुक्त द्वारा सामना की जाने वाली **प्रमुख चुनौतयिों में से एक जाँच और शकिायतों के समाधान में देरी है।**
    - लोकायुक्त **वत्तिपोषण और बुनयिादी ढाँचे के लयि भी राज्य सरकार पर नर्भिर रहता है** , जसिसे हस्तक्षेप और स्वतंत्रता की कमी की स्थति उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को मज़बूत करना:** लोकायुक्त को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने हेतु लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये, जैसे कि **मुख्यमंत्री एवं न्यायपालिका सहित सभी लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच तथा मुकदमा चलाने की शक्ति** प्रदान करना।
- **पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों की नियुक्ति:** देश भर में लोकायुक्त कार्यालयों को पर्याप्त रूप से कर्मचारियों और संसाधनों की आवश्यकता है जिससे वे अपने **जनादेश को प्रभावी ढंग से लागू करा सकें।**
- **जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि:** लोकायुक्त को अपने कामकाज़ में अधिक जवाबदेही के साथ पारदर्शिता बनाई रखनी चाहिये। उसे नियमित रूप से अपनी गतिविधियों, जाँच एवं परिणामों पर **रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिये।**

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/lokayukta-6